

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 39/2016/राजसमन्द.

मैसर्स मिराज प्रोडक्ट प्रा0 लिमिटेड, नाथद्वारा, राजसमन्द.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-II, कोटा
2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पारस पाटनी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/05/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 123/वैट/14-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.10.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.6.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.6.2014 को उदयपुर कोटा रोड़ पर नान्ता के पास वाहन संख्या एम.पी.09/एचजी-2450 को चैक किये जाने पर वाहन में 450 कार्टन मिराज तम्बाकू नाथद्वारा (राजसमन्द) से इन्दौर (एम.पी.) के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स मिराज प्रोडक्ट प्रा0 लि0 नाथद्वारा का इन्वॉयस संख्या 962 दिनांक 20.6.2014, श्रीनाथ रोड़लाईन्स, नाथद्वारा की जी.आर. संख्या 223 दिनांक 20.6.2014, मैसर्स आदेश एन्टरप्राइजेज इन्दौर का क्रेडिट मीमो संख्या एम-720 दिनांक 20.06.2014 एवं पत्र दिनांक 19.6.2014 पेश किये गये। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि व्यवहारी द्वारा उक्त बिल व बिल्टी का दूसरी बार उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार करापवंचन की मंशा मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त नोटिस की पालना में प्रस्तुत किये

 लगातार.....2

गये जवाब को सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 4,87,350/- का आरोपण आदेश दिनांक 21.6.2014 से किया गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2015 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।


3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित बिल-बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। वेट अधिनियम की धारा 76(2) के अनुसार माल के साथ विधिक बिल-बिल्टी उपलब्ध होने पर धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। इन्दौर के क्रेता व्यवहारी द्वारा उक्त माल की बिक्री आगे कर देने के कारण उनका बिल एवं पत्र संलग्न किये हैं, जिसका अपीलार्थी से कोई सम्बन्ध नहीं है। परिवहनित माल राजस्थान से मध्यप्रदेश के लिये परिवहनित किया जा रहा था, जिसके दस्तावेज पूर्ण रूप से विधिसम्मत थे। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित करने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि करने में विधिक त्रुटि की गयी है।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि वक्त जांच माल प्रभारी द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये थे उनमें एक पत्र क्रेता व्यवहारी का था, जिसके अनुसार माल मैसर्स गणेश सेल्स एजेंसी, श्योपुर (एम.पी.) को विक्रय किया जाना दर्शाया गया था एवं उक्त दस्तावेज में दिनांक 19.6.2014 अंकित थी, जबकि अन्य समस्त दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी में दिनांक 20.6.2014 अंकित थी। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का दुबारा उपयोग होना अवधारित करते हुए एवं माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 76(2) एवं 76(6) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

 लगातार.....3

76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement. -

- (2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-
- stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set-up under sub-section (1);
 - carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;
 - produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check-post or barrier;
 - furnish all the information in his possession relating to the goods; and
 - allow the inspection of the goods by the Incharge of the check-post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

Explanation.- For the purpose of this Chapter 'goods in movement' shall mean -

- the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;
 - the goods which are being carried in a vehicle or carrier belonging to the owner of such goods; and
 - the goods which are being carried by a person.
- (6) The Incharge of the check-post or barrier or the officer authorized under sub-section (4), after having given the owner of the goods or person duly authorised in writing by such owner or person Incharge of the goods, a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of clause (b) of sub-section (2) or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

8. उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि वक्त परिवहन माल से सम्बन्धित दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होने पर शास्ति आरोपणीय है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में माल का परिवहन राजस्थान से मध्यप्रदेश के लिये किया जा रहा था एवं वांछित दस्तावेज यथा बिल एवं बिल्टी माल के साथ संलग्न थे। सक्षम अधिकारी द्वारा बिल बिल्टी में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं बताया है। माल की

लगातार.....4


चैकिंग दिनांक 21.6.2014 को की गयी है एवं संलग्न बिल बिल्टी दिनांक 20.6.2014 के बने हुए हैं, जिनमें नियमानुसार सभी प्रकार की प्रविष्टियां इंद्राजित हैं। क्रेता व्यवहारी द्वारा यदि कोई त्रुटिपूर्ण दस्तावेज संलग्न किया गया है तो उसके लिये विक्रेता व्यवहारी को दोषी मानते हुए दण्डित नहीं किया जा सकता।

9. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के तहत क्रेता व्यवहारी माल का सीधा विक्रय अन्य व्यवहारी को कर सकता है, जिसके लिये वह वाहन चालक को इस सम्बन्ध में वांछित दस्तावेज बनाकर देता है एवं वाहन चालक/माल प्रभारी दस्तावेजों के अनुसार माल की डिलीवरी सीधे द्वितीय क्रेता व्यवहारी को करता है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में भी क्रेता व्यवहारी द्वारा उक्त अपीलार्थी से माल खरीद कर उस माल का विक्रय मैसर्स गणेश सेल्स एजेंसी, श्योपुर (म.प्र.) को करते हुए बिल एवं पत्र जारी किये थे। यह उल्लेखनीय है कि राज्य में अपीलार्थी फर्म द्वारा माल का विक्रय विधिक बिल से किया गया था जो वक्त जांच प्रस्तुत कर दिया गया था ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 76(2) का कोई उल्लंघन नहीं होने से अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती।

10. उक्त विवेचन के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 28.10.2015 एवं शास्ति आदेश दिनांक 21.06.2014 अपास्त किये जाते हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य